न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.
राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 08/2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. धर्मेन्द्र चौधरी पुत्र स्व0 पदमसिंह चौधरी जाति जाट निवासी— ग्राम आलावास, तहसील— सोजत सिटी, जिला— पाली, निवासी— मकान संख्या डी—72, कमला नेहरू नगर, जोधपुर।		1. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राजस्थान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः—

1. श्री दिवाकर शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

—: निर्णय :—

दिनांक — 09/9/22

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम आलावास, पटवार क्षेत्र आलावास, भू.अ.नि.क्षे. सोजत रोड़, तहसील सोजत सिटी, जिला पाली की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 43 रकबा 0.4800 हैक्टर, खसरा नम्बर 47 रकबा 1.0200 हैक्टर, खसरा नम्बर 92 रकबा 0.5700 हैक्टर एवं खेत खसरा नम्बर 588 रकबा 2.1000 हैक्टर कुल खसरान 04 कुल रकबा 4.1700 हैक्टर भूमि आई हुई है। उक्त वर्णित खसरान् की भूमि प्रार्थी की सहखातेदारी की भूमि है। उक्त खसरान् की भूमि में लिपिकीय भूलवश या त्रुटिवश प्रार्थी का नाम धर्मेन्द्र चौधरी के स्थान पर धर्मेन्द्र सिंह दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी का वास्तविक एवं सही नाम धर्मेन्द्र चौधरी है। प्रार्थी अपनी सहखातेदारी की उपरोक्त कृषि भूमि में के.सी.सी. के लिए हल्का पटवारी के पास गया और जमाबंदी की नकल को प्राप्त की। प्रार्थी अपनी सहखातेदारी भूमि की जमाबंदी की नकल लेकर बैंक के पास गया तो वहां प्रार्थी द्वारा जमाबंदी की नकल एवं अपने सारे पहचान संबंधित दस्तावेज आदि बताए तो वहां पर ऑपरेटर ने के.सी.सी. देने से मना कर दिया और कहा कि जमाबंदी में आपका नाम धर्मेन्द्र सिंह अमल दरामद किया हुआ है जबकि आपके नाम से जारी अन्य अभिलेख जैसे बैंक पास बुक, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान—पत्र, भामाशाह कार्ड आदि के रेकर्ड में आपका नाम धर्मेन्द्र चौधरी लिखा हुआ है और कहा कि राजस्व रेकर्ड में नाम संशोधन करवाने के पश्चात् ही ऋण स्वीकृत किया जा सकता है। इस कारण प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में संशोधन कराने हेतु का यह रेकर्ड दुरूस्ती का प्रार्थना—पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। प्रार्थी के बैंक पासबुक, राशन कार्ड, मतदाता पहचान—पत्र, भामाशाह कार्ड आदि बने हुए है, जिसमें प्रार्थी का नाम धर्मेन्द्र चौधरी दर्ज है जो सरकारी दस्तावेज आदि में बदस्तुर चले आ रहे है।

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर ग्राम आलावास, पटवार क्षेत्र आलावास, भू.अ.नि.क्षे. सोजत रोड़, तहसील सोजत सिटी, जिला पाली की सरहद में

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

खसरा नम्बर 43, 47, 92, 588 कुल खसरान् 04 कुल रकबा 4.1700 हैक्टर भूमि की वर्तमान जमाबंदी की दुरुस्ती की जाकर प्रार्थी का नाम धर्मेन्द्र सिंह की जगह धर्मेन्द्र चौधरी राजस्व रेकर्ड में दर्ज कराने की ईस्तादुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिस के वास्ते जवाब तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सोजत ने दिनांक 19.05.2022 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अंकित किया कि पैरा संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा आलावास में स्थित है। पैरा संख्या 02 से 03 प्रार्थी स्वयं सिद्ध करे। पैरा 04 व 06 को कानूनी बताया है।

बहस उभयपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने जाहिर किया कि ग्राम आलावास, पटवार क्षेत्र आलावास, भू.अ.नि.क्षे. सोजत रोड, तहसील सोजत सिटी, जिला पाली की सरहद में खसरा नम्बर 43, 47, 92, 588 कुल खसरान् 04 कुल रकबा 4.1700 हैक्टर भूमि की वर्तमान जमाबंदी की दुरुस्ती की जाकर प्रार्थी का नाम धर्मेन्द्र सिंह की जगह धर्मेन्द्र चौधरी राजस्व रेकर्ड में दर्ज कराने की ईस्तादुआ की है। जबाब बहस में तहसीलदार सोजत ने व्यक्त किया कि प्रार्थी दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के आधार पर प्रार्थना पत्र साबित करे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात जमांबदी खाता संख्या 287 सरहद मौजा ग्राम सोजत रोड़ की प्रमाणित प्रतिलिपि, पहचान पत्र, राशनकार्ड, आधारकार्ड, भामाशाह कार्ड की छाया प्रतियां आदि दस्तावेजात पेश किए, जिनका गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः धारा 136 के तहत रेकार्ड के आधार पर जो पूर्व में निहित थे औ जो सही एवं वास्तविक स्थिति थी उसके अनुरूप ही गलतियों की शुद्धि की जा सकती है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश नही किया गया है जिससे यह पुष्टि हो कि प्राथी का नाम पूर्ववती राजस्व रेकर्ड या अन्य राजस्व रेकर्ड में धर्मेन्द्र चौधरी के नाम से इन्द्राज हो तथा स्लिफ ऑफ पैन से धमेन्द्रसिंह इन्द्राज हो गया है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल आर एक्ट के तहत पोषणीय नही होने से खारिज किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भू0राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हों। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 7/7/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)